न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी-बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2022 / 200 दर्ज तिथिः—06.07.2022

1. हरिराम पुत्र भीखाराम
   जाति विश्नोई निवासी मौखावा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

..................वादी

बनाम

1. केली पुत्री भीखाराम पत्नी रूपाराम जाति विश्नोई निवासी धोरीमना जिला बाड़मेर
2. सुगणी पुत्री भीखाराम पत्नी किसनाराम जाति विश्नोई निवासी भटीप तह0 भीनमाल
3. भागीरथराम पुत्र भीखाराम जाति विश्नोई निवासी मौखावा तहसील गुढामालानी
4. दिनेशकुमार पुत्र हीराराम
5. श्रवणकुमार पुत्र हीराराम
6. विमला पुत्री हीराराम
   जाति विश्नोई निवासी नगर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.................असल प्रतिवादीगण

7. मैनेजर एस.बी.आई. शाखा गुढामालानी (एडीबी)
8. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर।

..................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगणः— श्री चिमनसिंह चौधरी।
प्रतिवादीः— श्री रामजीवन विश्नोई।
पैरोकार सरकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राज. काश्तकारी अधिनियम—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः— 12.08.2024

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.13 14:47:58 IST
Reason: SelfAttested

पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 281/9.2268 है0, 283/13.4274 है0, 284/0.1295 है0, 285/11.8168 है0, 285/5/6.4264 है0, 346/4.5810 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 45.6079 हैक्टेयर वाके ग्राम मौखावा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 हाजा न्यायालय में असालतन—वकालतन उपस्थित हुए। परन्तु जबाव का पर्याप्त अवसर लिये जाने के उपरान्त भी जबाव पेश नहीं करने से प्रतिवादी संख्या 3 व 7 का जबाव का अवसर बन्द किया गया तथा शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3 के अधिवक्ता द्वारा माफिक हक हिस्सा भूमि की गुडवत्ता एवं आवागमन की सुविधा एवं वर्तमान कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाने की सहमति दी। जिस पर विद्वान अभिभाषक वादी ने सहमति दिये जाने पर दिनांक 14.08.2023 को

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.13 14:47:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रारम्भिक निर्णय व पर्चा डिक्री जारी किया गया। जिस पर भू—धारक तहसीलदार गुढामालानी द्वारा अपने पत्रांक 1311 दिनांक 22.09.2023 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जिस पर विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा आपत्ति जाहिर की तथा प्रतिवादी संख्या 4 से 6 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश किया। जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किये जाने पर विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 3 से 6 द्वारा पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगाने का निवेदन किया। जिस पर विद्वान अभिभाषक वादी द्वारा सहमति दी गई। प्रकरण में अभिभाषकगण उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार गुढामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुढामालानी द्वारा अपने पत्रांक / कोर्ट / आर.ए. / 2024 / 1739 दिनांक 26.07.2024 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई।

3. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2075—2078 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 281 / 9.2268 है0, 283 / 13.4274 है0, 284 / 0.1295 है0, 285 / 11.8168 है0, 285 / 5 / 6.4264 है0, 346 / 4.5810 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 45.6079 हैक्टेयर वाके ग्राम मौखावा तहसील गुडामालानी के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा— ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.13 14:47:58 IST
Reason: SelfAttested

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार है:—

प्रथम— स्वामित्व एवं कब्जा:— प्रकरण के बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह—काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय— सुविधा का सन्तुलन:— प्रकरण में बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय— अपूरणीय क्षति:— प्रकरण में बाद तकसीम पृथक—पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.13 14:47:58 IST
Reason: SelfAttested

व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद—रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 281/9.2268 है0, 283/13.4274 है0, 284/0.1295 है0, 285/11.8168 है0, 285/5/6.4264 है0, 346/4.5810 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 45.6079 हैक्टेयर वाके ग्राम मौखावा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म
हरीराम पुत्र भीखाराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार रहन हिस्सा (पूर्ण खाता) SBI शाखा गुढामालानी	पूर्ण	281	1.8454	बा.सो.
		283	2.6854	बा.दो.
		284	0.1295	गे.मु
		285	2.3633	बा.दो.

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.13 14:47:58 IST
Reason: SelfAttested

		285/5 346	1.1494 0.9162	बा.दो. बा.दो.
किता 06 रकबा 9.0892 हैक्टेयर				
केली, सुगणी पुत्री भीखाराम	1/2	281 283 285 285 285/5 346	7.3814 10.7420 8.6441 0.8094 5.1151 3.6648	बा.सो. बा.दो. बा.दो. बा.दो. बा.दो. बा.दो.
भागीरथराम पुत्र भीखाराम	1/4			
श्रवणकुमार, दिनेशकुमार पुत्र हीराराम	1/6			
विमला पुत्री हीराराम कौम विश्नोई सा. देह खातेदार *रहन SBI शाखा गुढामालानी सम्पूर्ण खााता रहन*	1/12			
किता 06 रकबा 36.3568 हैक्टेयर				
केली, सुगणी पुत्री भीखाराम	2/5	285/5	0.1619	बा.दो. (श्मशान हेतु)
हरीराम, भागीरथराम पि. भीखाराम	2/5			
श्रवणकुमार, दिनेशकुमार, विमला पि. हीराराम कौम विश्नोई सा. देह खातेदार	1/5			
किता 01 रकबा 0.1619 हैक्टेयर				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता की आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.13 14:47:58 IST
Reason: SelfAttested

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुडामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.13 14:47:58 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2022/200 दर्ज तिथिः—06.07.2022

1. हरिराम पुत्र भीखाराम
   जाति विश्नोई निवासी मौखावा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

..................वादी

बनाम

1. केली पुत्री भीखाराम पत्नी रूपाराम जाति विश्नोई निवासी धोरीमना जिला बाड़मेर
2. सुगणी पुत्री भीखाराम पत्नी किसनाराम जाति विश्नोई निवासी भटीप तह0 भीनमाल
3. भागीरथराम पुत्र भीखाराम जाति विश्नोई निवासी मौखावा तहसील गुढामालानी
4. दिनेशकुमार पुत्र हीराराम
5. श्रवणकुमार पुत्र हीराराम
6. विमला पुत्री हीराराम
   जाति विश्नोई निवासी नगर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.................असल प्रतिवादीगण

7. मैनेजर एस.बी.आई. शाखा गुढामालानी (एडीबी)
8. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर।

..................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगणः— श्री चिमनसिंह चौधरी।
प्रतिवादीः— श्री रामजीवन विश्नोई।
पैरोकार सरकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

निर्णय तिथिः— 12.08.2024

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.13 14:47:58 IST
Reason: SelfAttested

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 281/9.2268 है0, 283/13.4274 है0, 284/0.1295 है0, 285/11.8168 है0, 285/5/6.4264 है0, 346/4.5810 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 45. 6079 हैक्टेयर वाके ग्राम मौखावा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म
हरीराम पुत्र भीखाराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार रहन हिस्सा (पूर्ण खाता) SBI शाखा गुढामालानी	पूर्ण	281	1.8454	बा.सो.
		283	2.6854	बा.दो.
		284	0.1295	गे.मु
		285	2.3633	बा.दो.
		285/5	1.1494	बा.दो.
		346	0.9162	बा.दो.
किता 06 रकबा 9.0892 हैक्टेयर				
केली सुगणी पुत्री भीखाराम	1/2	281	7.3814	बा.सो.
भागीरथराम पुत्र भीखाराम	1/4	283	10.7420	बा.दो.
श्रवणकुमार दिनेशकुमार पुत्र हीराराम	1/6	285	8.6441	बा.दो.
		285	0.8094	बा.दो.
विमला पुत्री हीराराम कौम विश्नोई	1/12	285/5	5.1151	बा.दो.

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.13 14:47:58 IST
Reason: SelfAttested

सा. देह खातेदार रहन SBI शाखा गुढामालानी सम्पूर्ण खााता रहन		346	3.6648	बा.दो.
किता 06 रकबा 36.3568 हैक्टेयर				
केली सुगणी पुत्री भीखाराम	2/5	285/5	0.1619	बा.दो. (श्मशान हेतु)
हरीराम भागीरथराम पि. भीखाराम	2/5			
श्रवणकुमार दिनेशकुमार विमला पि. हीराराम कौम विश्नोई सा. देह खातेदार	1/5			
किता 01 रकबा 0.1619 हैक्टेयर				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। खर्चा अपना–अपना वहन करेगें। अहकाम जारी हो।

यह डिक्री आज दिनांक 12.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी की गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.13 14:47:58 IST
Reason: SelfAttested

हरीराम बनाम केली
2022 / 200
निर्णय दिनांकः—12.08.2024

सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.08.13 14:47:58 IST
Reason: SelfAttested